न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 08/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल विक्रेता
   एफबीओ मैसर्सः— श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तह. सिकराय जिला दौसा।
2. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल मालिक
   एफबीओ मैसर्सः— श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तह. सिकराय जिला दौसा।
3. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल मालिक
   एफबीओ मैसर्सः— संतोष कुमार, संदीप कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ब्रजमोहन शर्मा क्वालिटी कन्ट्रोल इन्चार्ज/नोमिनी
   M/S Jagannath Chemfood Pvt. Ltd. Khasra No. 212, 213 Jagannath House, Jaipur Road, Post Nawa City, Distt. Nagaur, Raj.
5. **M/S Jagannath Chemfood Pvt. Ltd. Khasra No. 212, 213 Jagannath House, Jaipur Road, Post Nawa City, Distt. Nagaur, Raj.**

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 1 लगायत 5 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 03.04.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.08.2018 को दोपहर पूर्व 11:10 बजे मैसर्सः— श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तह. सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर सौ पॉली पैक प्लास्टिक के कट्टे में करीबन 2500 मूल पैक 1 किग्रा वजन में पैक आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, (100 मूल पैक कट्टे X 25 पॉली पैक X 1 किग्रा) में मिलावट का शक होने पर इनमे से एक मूल पैक कट्टे को खोलकर नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पैक आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) खरीदा। जिसकी कीमत 20 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 किग्रा आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) को चार साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बों में रखकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**–1967 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 23.08.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.08.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.08.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1384/एक्ट/2018/57 दिनांक 28.08.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) के सैम्पल में सोडियम क्लोराईड **(Nacl)** की मात्रा 96.16 प्रतिशत पायी गयी है। जो कि 97 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए थी। उक्त खाद्य पदार्थ के सैम्पल में आयोडिन कन्टेन्ट की मात्रा 12.7 पीपीएम पायी गयी है, जो भी खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक मानको से कम है। सोडियम क्लोराईड **(Nacl)** तथा आयोडिन कन्टेन्ट की मात्रा आवश्यकता से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तहसील सिकराय द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) उनके द्वारा सन्तोष कुमार, सन्दीप कुमार, माधोगंज मण्डी बांदीकुई से बिल के द्वारा खरीद कर पैकिंग में ही विक्रय किया जाना व्यक्त करते हुए अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 व को उक्त प्रकरण से मुक्त करने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री संतोष कुमार, सन्दीप कुमार माधोगन्ज मण्डी, बांदीकुई

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा फर्म जगन्नाथकेम फूड प्राइवेट लिमिटेड नावा सिटी से बिल से पैक ही क्रय किया जाकर पैकिंग में ही बेचा जाना व्यक्त करते हुए शास्ति से मुक्त करने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 एवं 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) के सैम्पल को जांच रिपोर्ट में मानवीय भूल के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया जाना एवं उक्त खाद्य पदार्थ को खाने से मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होना व्यक्त करते हुऐ भविष्य में उक्त कमी को दूर करने हेतु ध्यान रखने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1384/एक्ट/2018/57 दिनांक 28.08.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) सोडियम क्लोराईड (**Nacl**) तथा आयोडिन कन्टेन्ट की मात्रा आवश्यकता से कम पाये जाने के कारण सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड सॉल्ट (अंकुरित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 व 5 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ब्रजमोहन शर्मा क्वालिटी कन्ट्रोल इन्चार्ज/नोमिनी **M/S Jagannath Chemfood Pvt. Ltd. Khasra No. 212, 213 Jagannath House, Jaipur Road, Post Nawa City, Distt. Nagaur, Raj.** पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 03.04.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/796–802

दिनांक:–03.04.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल विक्रेता
   एफबीओ मैसर्सः– श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तह. सिकराय जिला दौसा।
4. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल मालिक
   एफबीओ मैसर्सः– श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, तह. सिकराय जिला दौसा।
5. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल मालिक
   एफबीओ मैसर्सः– संतोष कुमार, संदीप कुमार, माधोगंज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।
6. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ब्रजमोहन शर्मा क्वालिटी कन्ट्रोल इन्चार्ज/नोमिनी
   M/S Jagannath Chemfood Pvt. Ltd. Khasra No. 212, 213 Jagannath House, Jaipur Road, Post Nawa City, Distt. Nagaur, Raj.
7. **M/S Jagannath Chemfood Pvt. Ltd. Khasra No. 212, 213 Jagannath House, Jaipur Road, Post Nawa City, Distt. Nagaur, Raj.**

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official